न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 110/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 चीमाराम पुत्र दीपाराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर पूर्व, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर।		1 राणाराम 2 सवाईराम 3 स्वरूपाराम 4 भोमाराम पिरान पैलादराम उर्फ प्रहलादराम 5 मूलीदेवी पत्नी पैलादराम उर्फ प्रहलादराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर पूर्व, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री छगनलाल मंसुरिया, वकील वादी।
2. श्री राजूराम कुमावत, वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 12/12/18

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रावतसर पूर्व पटवार क्षैत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1525/365 रकबा 86.00 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का भी 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा उसी अनुसार बाहमी तौर पर बंटवाड़ा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अभिलेख में हिस्सा अंकित नही होने से तथा बंटवाड़ा नही होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है, लिहाजा वादी अपना हिस्सा घोषित करवा कर बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के वकील उपस्थिति। वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में उनका 1/2 हिस्सा है और उक्त 1/2 हिस्से पर उनका कब्जा काश्त है। माफिक कब्जा काश्त भूमि का विभाजन किया जावे।

वाद पत्र के साक्ष्य में वादी चीमाराम प्रतिवादी संख्या 01 राणाराम तथा गवाह श्री गंगाराम व श्री बाबुलाल की साक्ष्य ली गई, जिन्होने अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का भी 1/2 हिस्सा है। उसी अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा रावतसर पूर्व पटवार क्षैत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1525/365 रकबा 86.00 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी की है तथा उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर।

Scanned with CamScanner

संख्या 01 से 05 का भी 1/2 हिस्सा निहित है उसी अनुसार अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा रावतसर पूर्व पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1525/365 रकबा 86.00 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में कब्जा काश्त अनुसार भूमि का विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। प्राथमिक डिकरी जारी हो। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12/12/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर।

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 चीमाराम पुत्र दीपाराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर पूर्व, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर।		1 राणाराम 2 सवाईराम 3 स्वरूपाराम 4 भोमाराम पिसरान पैलादराम उर्फ प्रहलादराम 5 मूलीदेवी पत्नी पैलादराम उर्फ प्रहलादराम जाति कुम्हार निवासी रावतसर पूर्व, रावतसर तहसील व जिला बाडमेर 6 तहसीलदार बाडमेर ।

दावा बाबत् 88, 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 110/2018

निर्णय दिनांक :– 12.12.18

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.12.18 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा रावतसर पूर्व पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1525/365 रकबा 86.00 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 05 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में कब्जा काश्त अनुसार भूमि का विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12.12.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.03.17 16:20:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: